संख्या-893/2018/1316/22-2-2018-17(282)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महनिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भारत पुत्र श्री परागी निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-09.07.2018) दिनांक 17.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भारत पुत्र श्री परागी, जो-शिवरूखी, थाना-सदरपुर, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.05.1977 को 05 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी बल्लम से पुत्तन खां नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं अख्तर नामक व्यक्ति को घायल कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 147 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश सीतापुर के आदेश दिनांक 14.07.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.07.2002 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 15 वर्ष 03 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.05.1977 को 05 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी बल्लम से पुत्तन खां नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं अख्तर नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी की आयु 65 वर्ष 01 माह लगभग है शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रबोशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भारत पुत्र श्री परागी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी भारत (बन्दी संख्या-47704) पुत्र श्री परागी निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-893/2018/1316(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-893/2018/1316/22-2-2018-17(282)/2018

दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भारत पुत्र श्री परागी, जो-शिवरूखी, थाना-सदरपुर, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.05.1977 को 05 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी बल्लम से पुत्तन खां नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं अख्तर नामक व्यक्ति को घायल कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 147 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश सीतापुर के आदेश दिनांक 14.07.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.07.2002 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 15 वर्ष 03 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.05.1977 को 05 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी बल्लम से पुत्तन खां नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं अख्तर नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी की आयु 65 वर्ष 01 माह लगभग है शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रबोशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भारत पुत्र श्री परागी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in